A6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

जासीन अधिकारी–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
88 / प्रा0पत्र / 11	20.10.2011	02.08.2021

रहमान आ0 वजीर उर्फ वजीरा जाति मुसलमान तेली निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–प्रार्थी

बनाम

1. सफुदीन आ0 वजीर उर्फ वजीरा जाति मुसलमान तेली निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी मृतक जर्ये कायम मुकाम।
   1/1. फिरोज आ0 सफुदीन जाति मुसलमान निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
   1/2. इमरान आ0 सफुदीन जाति मुसलमान तेली निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
   1/3. कल्लो पुत्री सफुदीन पत्नि शहजाद जाति मुसलमान निवासी करमोदा।
   1/4. मोसीना पुत्री सफुदीन पत्नि अहमद जाति मुसलमान निवासी अनियारा रोड नैंनवा जिला बून्दी।
   1/5. अमीना पुत्री सफुदीन पत्दि सद्धाम जाति मुसलमान निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
   1/6. कमला बेवा सफुदीन जाति मुसलमान निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. इलफाज आ0 वजीर उर्फ वजीरा जाति मुसलमान तेली निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
3. बतूल बेवा वजीर उर्फ वजीरा जाति मुसलमान तेली निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी मृतक जर्ये कायम मुकाम।
   3/1. सफूदीन आ0 वजीर उर्फ वजीरा जाति मुसलमान तेली निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी मृतक।
   3/2. इलफाज आ0 वजीर उर्फ वजीरा जाति मुसलमान तेली निवासी लाम्बा बरड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
   3/3. शरीफन पुत्री वजीर उर्फ वजीरा पत्नि बाबू खां जाति मुसलमान तेली निवासी धन्ना तलाई कांटे के पास टोंक जिला टोंक।
   3/4. जमीला पुत्री वजीर पत्नि मुन्ना खां जाति मुसलमान तेली निवासी कुम्हारों की चौकी मस्जिद के पास टोंक जिला टोंक।
4. अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति नैंनवा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय नैंनवा जिला बून्दी।
5. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैंनवा जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण

अति0 जिला कलक्टर

A6/2

प्रार्थी की ओर से–श्री कैलाश गुप्ता एड0
अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/6 की ओर से–श्री नवेद केसर एड0
अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3/1 से 3/4 की ओर से–श्री श्याम सुन्दर गौत्तम एड0
अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 5 की ओर से–पेरोकार सरकार

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/6 के पिता सफूदीन को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 4 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम लाम्बा बरड़ा तहसील नैंनवा आवंटन आदेश दिनांक 24.10.1977 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 4 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम लाम्बा बरड़ा का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधान एवं प्रकिया के विपरीत आवंटन किया गया हैं। आवंटित भूमि ग्राम लाम्बा बरड़ा में विस्थित हैं जो एक राजस्व ग्राम हैं। भूमि का आवंटन मुकाम जैतपुर में किया गया हैं जिसके कारण प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता वजीरा को सूचना नहीं हो सकी। उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता वजीर उर्फ वजीरा आ0 घांसी खां मुसलमान तेली निवासी ग्राम लाम्बा बरड़ा तहसील नैंनवा का आवंटन तिथी से 15–20 वर्ष पहले से ही काबिज काश्त चले आ रहे थे। प्रार्थी ने उनके साथ भूमि पड़त से फाड़ कर आबाद किया था और काबिज काश्त बनाया था। सफूदीन का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं तथा आवंटी श्री वजीरा जी का पुत्र हैं जिस कारण उसने वजीरा जी एवं प्रार्थी को धोखे में रखकर चुपचाप अपने नाम आवंटन करवा लिया तथा यह तथ्य छिपा लिये कि आवंटित भूमि पर श्री वजीरा जी का कब्जाकाश्त हैं। दोराने बहस प्रार्थी अभिभाषक ने यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी को खसरा संख्या 4 रकबा 4 बीघा का आवंटन किया गया हैं और रिकार्ड में खसरा संख्या 4 रकबा 7 बीघा का अमल दरामद किया गया हैं। 3 बीघा भूमि का अधिक अमल किया गया हैं जिसका अप्रार्थी को आवंटन ही नहीं किया गया हैं। खसरा संख्या 4 रकबा 4 बीघा पर वजीरा वल्द घांसी का आवंटन से पूर्व ही कब्जाकाश्त रहा हैं। श्री वजीरा जी का देहान्त हो चुका हैं। वजीरा जी देहान्त से पूर्व प्रार्थी के पास ही रहते थे। प्रार्थी ने उनकी सेवा की हैं। वजीरा जी ने अपने जीवनकाल में ही पारिवारिक आपसी व्यवस्था के अनुसार प्रार्थी को कुल 10 बीघा भूमि हिस्से में दे दी थी। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर सिंचाई के लिए कुँए का निर्माण किया हुआ हैं। प्रार्थी के उक्त भूमि पर 2 कच्चे मकान भी बने हुऐ हैं जिनमें प्रार्थी परिवार सहित रहता हैं। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 2–3 माह में विवाद करना प्रारम्भ कर दिया और प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी। तत्पश्चात आवंटन आदेश की नकल प्राप्त कर कार्यवाही प्रस्तुत की गई हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन आदेश निरस्त किया जावें। प्रार्थी अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1987 पेज 54 (एल. बी.), आरबीजे 1998 पेज 544, आरआरडी 1987 पेज 144, आरबीजे 2006 पेज 749 एवं डीएनजे (राज.) 2018(2) पेज 778 पेश की।

A/3

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 1/6 ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आवंटन आदेश आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर किया गया हैं। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। अप्रार्थी द्वारा बवक्त आवंटन कोई तथ्य नहीं छिपाये गये हैं और न ही आवंटन आवेदन पत्र में मिथ्यातथ्य अंकित किये गये हैं। आवंटन खारजी हेतु प्रार्थी द्वारा विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर आवंटन आदेश दिनांक 24.10.1977 यथावत रखा जावे।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 3/1 से 3/4 ने दोराने बहस व्यक्त किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन को निरस्त किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में नियमन अथवा न्यायोचित कार्यवाही किये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/6 के पिता सफूदीन को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 24.10.1977 को आवंटन किया गया हैं। आवंटन आदेश से विदित हैं कि सफूदीन को आराजी खसरां संख्या 4 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम लाम्बा बरड़ा आवंटित की गई हैं। आवंटी को अन्य मिसल संख्या 108 आवंटन आदेश दिनांक 03.12.1975 से खसरा संख्या 7 रकबा 6 बीघा का आवंटन किया गया हैं जिसकी पालना में खसरा संख्या 4 रकबा 3 बीघा, खसरा संख्या 5 रकबा 3 बीघा कुल 6 बीघा का अमल दरामद किया गया हैं। इस प्रकार खसरा संख्या 4 रकबा 4 बीघा का आवंटन किया गया हैं और 7 बीघा का अमल दरामद किया गया हैं जबकि खसरा संख्या 4 में अधिक रकबा 3 बीघा का आवंटन अप्रार्थी को किया ही नहीं गया हैं। पत्रावली में उपलब्ध खसरा परिवर्तनशील संवत् 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 के अवलोकन से जाहिर हैं कि खसरा संख्या 4 रकबा 4 बीघा पर प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता वजीरा का कब्जाकाश्त रहा हैं। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 08.07.2011 के अध्ययन से यह जाहिर आया कि आवंटित भूमि पर सफूदीन का कब्जाकाश्त नहीं हैं तथा सफूदीन का पुत्र फिरोज उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता हैं। अप्रार्थी का भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं होने से उसके द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किया जाना ज्ञात होता हैं। आवंटन आदेश दिनांक 24.10.1977 में अंकित भूमि खसरा संख्या 4 रकबा 4 बीघा एवं अन्य आवंटन आदेश की पालना में खसरा नम्बरान 4 रकबा 3 बीघा कुल 7 बीघा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया हैं जबकि आवंटी को 4 बीघा का आवंटन हुआ हैं 3 बीघा अधिक भूमि का अमद दरामद किया गया हैं जो अप्रार्थी को आवंटित ही नहीं हुई हैं। आवंटन आदेशों की पालना में राजस्व रिकार्ड में त्रुटि पूर्ण प्रविष्टियां की गई हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 24.10.1977 निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान)
अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)